झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
दशम् (शीतकालीन) सत्र
वर्ग–04

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, गुरूवार, दिनांकः– 01 पौष, 1944 (श०) को 22 दिसम्बर,2022 (ई०) झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र० सं०	विभागों को भेजी गई सां०संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
01-	कृष०–01	डॉ०इरफान अंसारी,	भवन निर्माण कराना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	13-12-22
02-	क०–03	डॉ०सरफराज अहमद,	दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई।	अनु०जाति,अनु० जनजाति,अल्प०एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	15-12-22
03-	जा०–06	सुश्री अम्बा प्रसाद,	फीडर का निर्माण।	ऊर्जा	15-12-22
04-	जा०–02	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	पोल एवं तार बदलना।	ऊर्जा	14-12-22
05-	ज०–08	श्री अमर कुमार बाउरी,	बांध का जीर्णोद्धार कराना।	जल संसाधन	15-12-22
06-	ज०–10	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,	पुलों का निर्माण कराना।	जल संसाधन	15-12-22
07-	जा०–04	श्री विकास कुमार मुण्डा,	बिजली व्यवस्था में सुधार।	ऊर्जा	15-12-22
08-	जा०–05	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	सोलर प्लॉट का निर्माण।	ऊर्जा	15-12-22
09-	ज०–01	श्री रामचन्द्र सिंह,	डैम का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	13-12-22
10-	ज०–05	श्री सुदेश कुमार महतो,	डैम का निर्माण।	जल संसाधन	15-12-22
11-	जा०–03	श्री बिरंची नारायण,	बिजली व्यवस्था सुचारू कराना।	ऊर्जा	14-12-22

क्र०पृ०उ०.....2/–

01	02	03	04	05	06
12-	कृष0-02	डॉ0सरफराज अहमद,	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	कृषि,पशु0 एवं सहकारिता	15-12-22
13-	ज0-04	श्री किशुन कुमार दास,	चैक डैम का निर्माण कराना।	जल संसाधन	14-12-22
14-	खा0-01	श्री बिनोद कुमार सिंह,	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	खाद्य,सा0वि0 एवं उप0मा0	13-12-22
15-	ज0-06	श्री अनन्त कुमार ओझा,	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	जल संसाधन	15-12-22
16-	ज0-03	श्री किशुन कुमार दास,	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	जल संसाधन	14-12-22
17-	जा0-01	श्री रामचन्द्र सिंह,	बिजली उपभोक्ता को राहत देना।	ऊर्जा	14-12-22
18-	ज0-09	श्रीमती पुष्पा देवी,	सिंचाई कार्यालय स्थापित कराना।	जल संसाधन	15-12-22
19-	ज0-07	श्री नलिन सोरेन,	डैम के गेट का निर्माण कराना।	जल संसाधन	15-12-22
20	क0-01	डॉ0इरफान अंसारी,	राशि आवंटन कराना।	अनु0जा0,अनु0 जनजाति,अल्प0 एवं पि0वर्ग0क0	13-12-22
21-	ज0-02	श्री बिरंची नारायण,	बाँध का जीर्णोद्धार कराना।	जल संसाधन	14-12-22
22-	जा0-07	श्रीमती पुष्पा देवी,	वर्कशॉप स्थापित कराना।	ऊर्जा	15-12-22
23-	क0-02	श्री केदार हजरा,	शिक्षण कार्य प्रारंभ कराना।	अनु0जा0,अनु0 जनजाति,अल्प0 एवं पि0वर्ग क0	13-12-22

राँची,
दिनांक-22 दिसम्बर,2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0प्रश्न-05/2020-2402/वि0स0,राँची,दिनांकः-19/12/22

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

19/12/22

(सुरेश रजक)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ0उ0.....3/-

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०प्रश्न-05/2020-2402/वि०स०,राँची,दिनांकः-19/12/22

प्रतिलिपिः- आप्त सचिव अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव (प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न)झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुरेश रजक)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०प्रश्न-05/2020-2402/वि०स०,राँची,दिनांकः-19/12/22

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

गोपी//

श्री डॉ० इरफान अंसारी, माननीय स०वि०स० के द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या०–कृषि –01 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता श्री डॉ० इरफान अंसारी, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अन्तर्गत जामताड़ा शहर में अवस्थित राजकीय पशु चिकित्सालय, जामताड़ा एवं अवर प्रमण्डल पशु कार्यालय, जामताड़ा को कार्यपालक अभियन्ता भवन प्रमण्डल, जामताड़ा द्वारा अनुपयोगी घोषित कर दिया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इसके उपरान्त भी राजकीय पशु चिकित्सालय एवं अवर प्रमण्डल पशु कार्यालय, जामताड़ा जर्जर भवन में कार्यरत है, उक्त के परिप्रेक्ष्य में लोगों के जानमाल की क्षति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त राजकीय पशु चिकित्सालय एवं अवर प्रमण्डल पशु कार्यालय भवन के नव निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त राजकीय पशु चिकित्सालय एवं अवर प्रमण्डल पशुपालन कार्यालय में भवन के नवनिर्माण कार्य के प्राक्कलन की मुख्य अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसके आधार पर उक्त कार्य के प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 5 बजट(1)51/2022 प०पा०/ 1168 /राँची, दिनांक 20/12/22

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 2200 दिनांक 13.12.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.12.2022

(शिव कुमार केडिया)
सरकार के अवर सचिव

02

डॉ० सरफराज अहमद, स० वि० स० द्वारा दिनांक–22.12.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–क०–03 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है मई 2015 में विभाग द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि छात्रवृत्ति तथा साईकिल खरीद का भुगतान सीधे छात्रों के खाते में डी0बी0टी0 मोड से किया जायेगा;	साईकिल योजनान्तर्गत साईकिल क्रय हेतु राशि डी०बी०टी० के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक दी जाती थी। सरकार ने संकल्प संख्या–656, दिनांक–05.03.2021 एवं संकल्प संख्या–3494, दिनांक–05.12.2022 द्वारा निर्णय लिया है कि अर्हताधारी छात्र–छात्रा को शैक्षणिक वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में साईकिल खरीद कर प्रदान किया जायेगा। छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 8वीं कक्षा के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि मई, 2018 में जिलास्तरीय जाँच समिति ने जाँचोपरान्त पाया कि वर्ष 2016–18 के दौरान छात्रवृत्ति एवं साईकिल खरीद की राशि को जिला कल्याण कार्यालय, चतरा के बैंक खातों से 19 संस्थाओं व्यक्तियों के बैंक खातों में जिसमें रोकडिया उसके रिश्तेदार, गैर सरकारी संगठन, आपूर्तिकर्ता एवं गैर विद्यमान शैक्षणिक संस्थाओं के खातों में धोखा–धड़ी कर हस्तांतरित कर दिया गया;	जिला कल्याण कार्यालय, चतरा में सरकारी राशि की वित्तीय अनियमितता एवं गबन के मामले में सदर थाना काण्ड संख्या–165/18, दिनांक–08.06.2018 द्वारा संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों/संस्थाओ/व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज है।
3.	क्या यह बात सही है कि जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा तथा रोकड़िया की मिलीभगत से 13.59 करोड़ का गबन किया गया;	प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), झारखण्ड, राँची के पत्रांक– रिपोर्ट (सिविल) लेप०प्रति०/2018–19/28, दिनांक– 03.06.2020 के प्रतिवेदन में 13.59 करोड़ का गबन, जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा तथा रोकड़िया द्वारा किये जाने का उल्लेख किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी धन का गबन करने वाले जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा तथा रोकड़िया के विरूद्ध कठोर कार्रवाई कर सरकारी धन को वसूलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, चतरा के पत्रांक–370, दिनांक–08.06.2018 द्वारा जिला कल्याण शाखा, चतरा में सरकारी राशि के वित्तीय अनियमितता एवं गबन के मामलें में प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–2409, दिनांक–16.07.2019 तथा आदेश संख्या–1946, दिनांक–10.06.2019 द्वारा क्रमशः श्री इन्द्रदेव प्रसाद, तत्कालीन लिपिक, जिला कल्याण कार्यालय, चतरा तथा श्री काशी प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन लिपिक, जिला कल्याण कार्यालय, चतरा को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा श्री भोलानाथ लागुरी, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा तथा श्री आशुतोष कुमार, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा के विरूद्ध क्रमशः संकल्प संख्या–2567, दिनांक–06.06.2019 एवं संकल्प संख्या–434, दिनांक–05.02.2019 विभागीय कार्यवाही की गयी है। साथ ही उक्त अनियमितता के आलोक में विभागीय पत्रांक–2248, दिनांक–02.07.2018 द्वारा महालेखाकार (लेखा परीक्षा), झारखण्ड, राँची तथा वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को जिला कल्याण शाखा, चतरा की Comprehensive and Special Audit कराने का

		अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में महालेखाकार (लेखा परीक्षा), झारखण्ड, राँची के पत्रांक– रिपोर्ट (सिविल) लेप०प्रति०/2018–19/28, दिनांक– 03.06.2020 तथा वित्त विभाग के पत्रांक–56, दिनांक–09.01.2020 द्वारा प्राप्त विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन पर समीक्षोपरान्त कृत कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक–2574, दिनांक–14.12.2020 द्वारा उपायुक्त, चतरा को निदेश दिया गया है। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय पत्रांक–758, दिनांक–15.03.2021; पत्रांक–987, दिनांक–31.03.2021 तथा पत्रांक–3459, दिनांक–02.12.2022 द्वारा स्मारित किया गया है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–09/वि०स०(तारांकित)–01/2022 - 3676 राँची, दिनांक– 21/12/2022

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–2290 दिनांक–15.12.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेशित।

21/12/22

(प्रिसिल्ला मुर्मू)
सरकार के उप सचिव।

(03)

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०-06 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत बड़कागाँव एवं केरेडारी पूर्णता औद्योगिक क्षेत्र है तथा उक्त दोनों प्रखण्डों में बिजली 40–45 किलोमीटर दूर हजारीबाग जिला मुख्यालय के सिंदूर फीडर से पहुँचती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि अत्यधिक दूरी होने के कारण बड़कागाँव और केरेडारी प्रखण्डों में बिजली बाधित होती रहती है, कुछ खराबी होने पर पूरे क्षेत्र की बिजली काट दी जाती है और बड़कागाँव केरेडारी प्रखण्ड वासियों को काफी कम बिजली प्राप्त होती है, फलस्वरूप घर गृहस्थी, व्यवसाय और छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन बुरी तरह प्रभावित होता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। बड़कागाँव 33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र में 33 के०भी० लाईन विद्युत शक्ति उपकेन्द्र सिन्दुर से विद्युत आपूर्ति की जाती है। इसकी लम्बाई लगभग 42 कि०मी० है। 33 के०भी० पुराने जर्जर तार को नये तार से बदल दिया गया है, साथ ही साथ पुराने इन्सुलेटर को बदलकर पोलीमर इन्सुलेटर लगाया गया है। सामान्यतः डी०भी०सी० द्वारा लोड शेडिंग के दौरान विद्युत आपूर्ति बन्द रहती है।
3. क्या यह बात सही है कि बड़कागाँव में एन०टी०पी०सी० का एक फीडर मौजूद है परन्तु उक्त फीडर से बड़कागाँव वासियों को बिजली ना देकर सिर्फ कंपनी के क्रियाकलापों हेतु बिजली उपलब्ध कराई जाती है;	स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बड़कागाँव विधान सभा वासियों को हो रही बिजली की समस्या से निजात दिलाने हेतु बड़कागाँव व केरेडारी में 220/33 के०भी० फीडर का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० के द्वारा बड़कागाँव एवं आसपास के क्षेत्रों में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति हेतु में 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण हेतु कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। ग्रिड निर्माण के लिए केरेडारी क्षेत्र में भूमि का चयन किया गया था, परन्तु उक्त भूमि कोल ब्लॉक क्षेत्र (एन०एम०डी०सी०) में पड़ने के कारण भूमि का हस्तांतरण नहीं हो पाया है। उपायुक्त, हजारीबाग के सहयोग से अन्यत्र भूमि का चयन की प्रक्रिया चल रही है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2561 / दिनांक 21/12/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

64

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०-02 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि महागामा विधान सभा क्षेत्र में तार तथा पोल जर्जर होने के कारण हमेशा बिजली का संकट बना रहता है, जिससे वहाँ के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु जर्जर पोल एवं तार को समय-समय पर बदला जाना आवश्यक है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महागामा विधान सभा क्षेत्र में जर्जर बिजली के पोल एवं तार को बदल कर बिजली व्यवस्था में सुधार लाना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	महागामा विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुधार हेतु विगत वर्षों में DDUGJY एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत सुदृढ़ीकरण, नया लाईन एवं अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने हेतु कार्य किया गया है। शेष बचे हुए कार्य को RDSS योजना में सम्मिलित कर लिया गया है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न करा लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2560 / दिनांक 21/12/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

05

श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-22.12.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-08 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के चंदनकियारी विधान सभा क्षेत्र के चास प्रखण्ड के केलिया डाबर में 10 एकड़ से अधिक में फैले लोतन बांध जर्जर है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि चास प्रखण्ड के केलिया डाबर में 10 एकड़ से अधिक में फैले लोतन बांध से आस–पास के खेतों में सिंचाई की जाती है साथ ही स्थानीय लोगों के लिए यह पानी का एक महत्वपूर्ण बांध है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार चास प्रखण्ड के केलिया डाबर में 10 एकड़ से अधिक में फैले लोतन बांध को जीर्णोद्धार करवाने का इरादा रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	प्रश्नगत् योजना एक आहर है तथा इस पर जल संसाधन विभाग का स्वामित्व नहीं है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6 / ज०सं०वि०–20–तारांकित–78 / 2022...6446 / राँची, दिनांक–...21/12/22

प्रतिलिपि :–(1)अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–2286 दिनांक–15.12.2022 के क्रम में 5 (पाँच) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कॉके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

06

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिलान्तर्गत लतरातू डैम से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नहर के माध्यम से सिंचाई की जाती है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि डुमारी से बमरजा एवं डुमारी से खरतंगा की ओर जाने वाली नहर पर आवागमन हेतु पुल का निर्माण किया गया था, जो टुट चुका है,	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि पुल निर्माण नहीं होने से वहाँ के आस–पास रहने वाले ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा हो रही है,	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुलों का शीघ्र निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	नहर पर बने उक्त दोनों पुलों के पुनर्निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। स्वीकृति के उपरान्त इनके निर्माण का कार्य कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

6439

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–...../2022 – 21/12/22 /राँची, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2283 वि०स० दिनांक 15.12.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

07

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०-04 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि तमाड़ विधान सभा क्षेत्र के करीबन 45 गाँवों में ट्रांसफार्मर महीनो से जले हुए है, जिसकी सूचना निरंतर अधिकारियों को दी जाती रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि तमाड़ विधान सभा क्षेत्र के करीबन 68 गाँव/टोले में बिजली कनेक्शन नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि तमाड़ विधान सभा क्षेत्र के करीबन 21 गाँव/टोले में बिजली कि तार बेहद जर्जर अवस्था में है, जिसे बदलना अति आवश्यक है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त सभी मामलों कि जानकारी मैने दिनांक-03.11.2022 को अपने पत्रांक-442, 444 एवं 457 के माध्यम से ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराई है, (जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है) के बाबजूद अब तक कोई विशेष कार्यवाही नहीं हुई है;	संलग्न पत्रांक संख्या उपलब्ध करायी गई है पत्रांक संख्या 442 में वर्णित तमाड़ प्रखण्ड के 27 गाँव में से 22 गाँवों के ट्रान्सफार्मर को बदल दिया गया है एवं प्रखण्ड बुण्डू के 10 गाँव में से 3 गाँवों के ट्रान्सफार्मर को बदल दिया गया है। शेष तमाड़ प्रखण्ड के बचे हुए गाँव हाडामलोहार-25 के०भी०ए०, गोकुल नगर 25 के०भी०ए०, पियाकुली 25 के०भी०ए०, चिरकालडीह 25 के०भी०ए०, जोराडीह (कोकाडीह) 25 के०भी०ए० एवं बुण्डू प्रखण्ड के बारूटोला अमनबुरू (बिरहोरटोला) 25 के०भी०ए०, रोसेल 25 के०भी०ए०, आराडीह 63 के०भी०ए०, बलघर 25 के०भी०ए०, चुरगी 25 के०भी०ए० में 15 दिनों के अन्दर जले हुए ट्रान्सफार्मर को बदल दिया जायेगा। पत्रांक 444 में वर्णित अड़की प्रखण्ड के कुल 50 गाँवों/ टोलों के अगले वित्तीय वर्ष में RDSS (Revamped Distribution Sector Scheme) योजना अन्तर्गत विद्युतीकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है। पत्रांक 442 में वर्णित अड़की प्रखण्ड के 6 गाँवों में जले ट्रान्सफार्मरों को 15 दिनों के अन्दर बदल दिया जायेगा। पत्रांक 457 में वर्णित तमाड़ एवं बुण्डू प्रखण्ड के गाँवों/ टोलों के जर्जर तार को अगले वित्तीय वर्ष में RDSS (Revamped Distribution Sector Scheme) योजना अन्तर्गत विद्युतीकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है।
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित मामलों कि निष्पादन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान में कोई स्वीकृत योजना क्रियान्वित नहीं है। अतः उपरोक्त कार्यों का सर्वे कराकर विभागीय योजना अन्तर्गत सामाग्रियों की उपलब्धता के अनुसार कर दी जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2555 /

दिनांक 21/12/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

08

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–05 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला के लापुँग प्रखण्ड को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ज्रेडा द्वारा सोलर प्लांट लगाने की योजना लायी गयी थी;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि लापुँग प्रखण्ड परिसर स्थित खाता संख्या–53, प्लॉट संख्या–516, रकबा–01 एकड़ भूमि ज्रेडा को वर्ष 2018 में सोलर प्लांट लगाने हेतु उपलब्ध करायी गयी थी;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि 04 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी सोलर प्लांट निर्माण कार्य अधूरा है;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सोलर प्लांट निर्माण कार्य को पूर्ण कराते हुए लापुँग प्रखण्ड को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड रिन्यएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी (ज्रेडा) एवं आई०आई०टी०, मद्रास के बीच दिनांक–19.02.2019 को राँची जिलान्तर्गत लापुँग में सोलर माईक्रो ग्रिड के माध्यम से बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक MoU किया गया है, जिसके तहत् उक्त कार्य आई०आई०टी०, मद्रास द्वारा अपने खर्च पर किया जाना तय किया गया। उक्त के संबंध में आई०आई०टी०, मद्रास द्वारा पत्र दिनांक–06.07.2019 के माध्यम से सोलर माईक्रो ग्रिड के अधिष्ठापन से पूर्ण निम्नलिखित बिन्दुओं पर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया, i. Re-routing the existing connection. ii. Neutral line missing. iii. Consumer side challenges. iv. Store room. v. Energy meter. उक्त के आलोक में ज्रेडा द्वारा पत्रांक–1116/2019, दिनांक–26.07.2019 के माध्यम से अधिक्षण अभियंता, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० को आवश्यक सहयोग हेतु निवेदन किया गया है। ज्रेडा द्वारा आई०आई०टी०, मद्रास एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० से समन्वय स्थापित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2564 / दिनांक 21/12/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

09

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-22.12.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-01का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत महुआटांड़ प्रखण्ड के दुरूप एवं चैनपुर पंचायत में लघु सिंचाई विभाग द्वारा कुटूदिरी डैम का निर्माण कराया गया था, जिससे उक्त क्षेत्र के कई ग्रामों में सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित होती थी;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित कुटूदिरी डैम की वर्तमान अवस्था जीर्ण–शीर्ण है, जिससे सिंचाइ कार्य बाधित हो रही है;	स्वीकारात्मक। योजना से वर्तमान में 28 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा का लाभ ग्रामीणों द्वारा लिया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित डैम पर जीर्णोद्धार इसी वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है; हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	सर्वेक्षण कर योजना के जीर्णोद्धार हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6 / ज०सं०वि०–20–तारांकित–71 / 2022...6443 / राँची, दिनांक–21/12/22

प्रतिलिपि :–(1)अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–2204 दिनांक–13.12.2022 के क्रम में 5 (पाँच) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कॉके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची / दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

(10)

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिले के तमाड़/बुण्डू प्रखण्ड अन्तर्गत कांची नदी पर कांची डैम निर्माण का प्रस्ताव विभाग के पास तैयार है।	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त डैम के निर्माण होने से राँची एवं सरायकेला–खरसांवा जिले के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक है, तो क्या सरकार कांची डैम बनाने का इच्छा रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कांची डैम का DPR तैयार करने हेतु परामर्शी PKS Infra Engineers Pvt. Ltd. Ghaziabad के साथ कार्यपालक अभियंता समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०–2, राँची के द्वारा दिनांक–24.10.2019 को एकरारनामा किया गया था। उक्त डैम निर्माण में रैयती जमीन (Submergence) होने की दशा में जन विरोध संभावित था। अतः प्रस्तावित डैम के बदले Barrage निर्माण के संभाव्यता का आकलन करने का कार्य Consultant PKS Infra Engineers को दिया गया। Consultant द्वारा DPR Formulation में अभिरूचि नहीं रखने के कारण कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०–2, राँची के पत्रांक–189, दिनांक–19.09.2022 से Rescind कर दिया गया है एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के स्तर पर Barrage का DPR का Formulation कराया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 06/ज०स०वि०–20–तारां०–75/2022 – 6440 **/राँची, दिनांक** 21/12/22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2288 वि०स० दिनांक–15.12.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(11)

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–03 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि जैनामोड़ ग्रिड बनकर तैयार है;	जैनामोड़ ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है।
2. क्या यह बात सही है कि 33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र पिंडराजोड़ा नारायणपुर में विद्युत शक्ति उपकेन्द्र बनकर तैयार है और इसका 33 के०भी० लाईन का कार्य भी पूरा हो चुका है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि जैनामोड़ ग्रिड हेतु वन विभाग को कराब 48 लाख रूपये जमा करना है, जिसके अब तक जमा नहीं होने के कारण उक्त ग्रिड का लाभ जनता को नहीं प्राप्त हो पा रहा है;	जैनामोड़ ग्रिड से संबंधित संचरण लाईन यथा 220 के०भी० टी०टी०पी०एस०–गोविन्दपुर संचरण लाईन का जैनामोड़ ग्रिड में लीलो (LILO) के निर्माण हेतु वन विभाग को करीब 48 लाख रूपये का भुगतान दिनांक 15.12.2022 को कर दिया गया है। वन विभाग से कार्य अनुमति की प्रत्याशा है।
4. क्या यह बात सही है कि बोकारो में अभी घोर बिजली संकट है और 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है तथा आने वाला समय ग्रीष्म ऋतु का है, जिसमें बिजली संकट और भी बढ़ेगा;	आंशिक स्वीकारात्मक।
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त 48 लाख की राशि जमा करवाकर जैनामोड़ ग्रिड को 33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र पिंडराजोड़ा नारायणपुर से जुड़वाते हुए बिजली आपूर्ति सुचारू करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	जैनामोड़ ग्रिड सब–स्टेशन तथा संबंधित संचरण लाईन यथा 220 के०भी० टी०टी०पी०एस०–गोविन्दपुर संचरण लाईन का जैनामोड़ ग्रिड में लीलो (LILO) का निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य जूलाई 2023 निर्धारित है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2558 / दिनांक 21/12/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(12)

डॉ0 सरफराज अहमद, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–02 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता–डॉ0 सरफराज अहमद,		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है वर्ष 2014 में हजारीबाग जिलान्तर्गत एक कृषि फर्म के अंदर हाई टेक पौधशाला का निर्माण कराने के लिए 1.39 करोड़ रू. पर कार्य आवंटित किया गया, जिसके बुनियादी ढाँचे का कार्य पूर्ण कर मार्च, 2016 में संवेदक द्वारा जिला बागवानी कार्यालय, हजारीबाग को सौंप दिया गया था;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि मई, 2020 तक नवनिर्मित पौधशाला के परिचालन के लिए डीप बोरिंग जेनरेटर तथा विद्युत कनेक्शन के लिए निधि का प्रावधान नहीं किया गया, जिससे हाई टेक प्रयोगशाला आजतक परिचालित नहीं किया जा सका। फलस्वरूप उसके निर्माण पर 1.39 करोड़ रू. का व्यय निस्फल हो गया;	नर्सरी संचालन हेतु विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन प्रक्रियाधीन है तथा नर्सरी का संचालन FPO/ लाभुक द्वारा जल्द ही प्रारंभ किया जायेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यो ?	-

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–46/2022 3389 **कृ0, राँची, दिनांक–**21/12/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2289 दिनांक–15.12.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–46/2022 3389 **कृ0, राँची, दिनांक–**21/12/2022

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, प्रशाखा–9 (विधायी शाखा), कृषि प्रभाग/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

सरकार के अवर सचिव।

(13)

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-22.12.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-04 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिधौर प्रखण्ड अन्तर्गत बारीसाकी पंचायत में ग्राम पेक्सा के किसानों का मुख्य पेशा खेती बारी है, जहाँ सिंचाई सुविधा नहीं रहने के कारण वे लोग वर्षा आधारित खेती पर निर्भर है;	अस्वीकारात्मक। गिधौर प्रखण्ड में विभाग द्वारा निर्मित लवानी, घटेरी, लोटार, पहाड़ी मध्यम सिंचाई योजना तथा सिन्दुआरी खूर्द चेकडैम योजनाओं से लगभग 368 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा ग्रामीणों को प्रदान की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित ग्राम के मजूरा नाला (टूटीलाही नाला) एवं गुजरा नदी पर सिरिज ऑफ चेकडैम का निर्माण कराने से वहाँ के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जा सकता है। जिससे वहाँ के किसानों को वर्षा आधारित खेती के अलावा अन्य फसल उत्पादन में सुविधा होगी?	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–02 में वर्णित नाला पर सिरिज ऑफ चेकडैम निर्माण कराने का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	सर्वेक्षणोपरान्त तकनीकी संभाव्यता पाए जाने पर विषयगत् मजूरा नाला पर योजना के निर्माण की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–73/2022 6447 / राँची, दिनांक– 21/12/22

प्रतिलिपि :-(1)अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–2230 दिनांक–14.12.2022 के क्रम में 5 (पाँच) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कॉके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

(14)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 22.12.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा०–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री विनोद कुमार सिंह
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला में 208 पी०डी०एस० अनुज्ञप्ति धारकों की अनुज्ञप्ति गलत चयन के कारण रद्द कर दी गयी है;	यह सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत 208 जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है। तत्कालीन प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के पदस्थापन काल में अनियमित रूप से कई जन वितरण प्रणाली दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने से संबंधित मामले की जाँच हेतु निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय जाँच समिति का गठन विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–2612, दिनांक 08.10.2021 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा जाँचोपरांत समर्पित जाँच प्रतिवेदन में कुल 208 दुकानों हेतु निर्गत अनुज्ञप्ति में अनियमितता पाये जाने का उल्लेख किया गया एवं उक्त सभी 208 दुकानों की अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की गई। तदोपरांत उक्त जाँच समिति के अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 983, दिनांक 01.04.2022 द्वारा अनियमित रूप से निर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति को रद्द करने का निर्देश दिया गया। इस संदर्भ में W.P. (C) no. 1883/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2022 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक 983, दिनांक 01.04.2022 को बिना संज्ञान में रखते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी–सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा सुनवाई कर सम्यक अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार 208 अनियमित अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया।
(2) क्या यह बात सही है कि अब तक इसके लिए दोषी पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है;	विभागीय पत्रांक–1022, दिनांक 07.04.2022 द्वारा तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के विरूद्ध जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने में बरती गयी अनियमितता के संबंध में आरोप पत्र गठित कर साक्ष्य सहित आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को भेजा गया है।
(3) क्या यह बात सही है कि अचानक 208 केन्द्र बंद होने से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है;	जिन पंचायत/वार्डों में उक्त दुकानें स्थित थीं वहाँ जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या पर्याप्त है। उक्त रद्द हुए 208 दुकानों से सम्बद्ध लाभुकों को नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकानों से सम्बद्ध किया गया है ताकि लाभुकों को खाद्यान्न प्राप्त करने में परेशानी न हो। उक्त दुकानों के बंद होने से उपभोक्ता को परेशानी होने के संबंध में विभाग एवं जिला के पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए तत्काल उन केन्द्रों को नियमानुसार आवंटित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई हेतु भेजा जा चुका है। गिरिडीह जिलान्तर्गत 2134 जन वितरण प्रणाली दुकानें हैं एवं प्रति दुकान औसतन 213 राशनकार्ड सम्बद्ध है। अतः विभाग उक्त रद्द हुए 208 दुकानों को पुनः आवंटित करने का विचार नहीं रखती है।

ह0/–

(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–90/2022 3874 /राँची, दिनांक 20/12/22

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–2201, दिनांक 13.12.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2022

सरकार के अवर सचिव।

(15)

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ज०–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राजमहल विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड क्रमशः उधवा, राजमहल एवं साहेबगंज ग्रामीण मुख्यतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भरता वाले क्षेत्र है।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राजमहल प्रखण्ड के पंचायत मोकिमपुर अन्तर्गत चण्डीपुर जल्ला झील जल जमाव क्षेत्र में जल निस्सरण कार्य नहीं होने के कारण सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न हो गये है, जिससे खेती नहीं हो पाती है।	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि राजमहल प्रखण्ड के खण्ड–02 में वर्णित जल–जमाव क्षेत्र के बगल स्थित तेनुआ नाला में गाद भर जाने के कारण स्थानीय कृषक सिंचाई सुविधा से वंचित है जिसका गहरीकरण किया जाना अत्यावश्यक है।	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–02 में वर्णित क्षेत्र से जल निस्सरण एवं खण्ड–03 में वर्णित नाला का अविलम्ब प्राक्कलन तैयार कर जल–निस्सरण व गहरीकरण कराकर स्थानीय कृषक को खेती हेतु जमीन व सिंचाई उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	इस विषय पर मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा तकनीकी टीम गठित कर स्थलीय जाँच करायी गयी। टीम द्वारा प्रतिवेदित है कि वर्णित क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण गहरीकरण कार्य के बावजूद भी Silt से पुनः भरने की संभावना है। ऐसे में कार्य से होने वाली लाभ की प्राप्ति संदेहास्पद है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–20–तारां०–76/2022 – 6473 /राँची, दिनांक 21/12/22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2287 वि०स० दिनांक–15.12.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

E:\Note 5\vidhan Sabha\December12-12-2022\J-06 Anante kumar ojha.doc

(16)

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिमरिया विधान सभा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु प्रखण्ड इटखोरी एवं मयूरहण्ड में बक्सा एवं अंजनवा डैम का निर्माण कराया गय था, परन्तु अधिकांश पंचायतों में पानी नहीं पहुँच पा रहा है। जिससे वहाँ के किसानों को वर्षा आधारित खेती पर निर्भर रहना पड़ रहा है,	अस्वीकारात्मक। ईटखोरी प्रखण्ड अन्तर्गत कुल 12 पंचायतों यथा– कोनी, धोना, ईटखोरी, टोनाटांड, धनखेरी, पीतिज, हलमाता, शहरजाम, मलकपुर, परसोनी, नवादा, करनी में से बक्शा जलाशय योजना से कुल 7 पंचायतों यथा– कोनी, धोना, ईटखोरी, धनखेरी, मलकपुर, परसोनी, नवादा एवं मयूरहंड प्रखण्ड अन्तर्गत कुल 10 पंचायतों यथा– मयूरहंड, बेलखोरी, फुलांग, धोसिया, कदगावांकला, करमा, मंझगावां, पंदनी, पेटादरी, सोकी में से अंजनवा जलाशय योजना अन्तर्गत कुल 06 पंचायतों यथा– फुलांग, करमा, मझगांवा, पंदनी, पेटादरी, सोकी में जलाशयों की संचयन क्षमता के अनुरूप सिंचाई सुविधा दी जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि मेरे द्वारा खण्ड–01 में वर्णित चेक डैम से सभी पंचायतों तक सिंचाई सुविधा बहाल कराने से संबंधित विभाग को भेजे गये पत्र पर विभाग के द्वारा जवाब मिला स्टोरेज क्षमता के अनुरूप सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराई जा रही है,	स्वीकारात्मक। चतरा जिले के ईटखोरी प्रखण्ड के बक्शा जलाशय योजना अवस्थित है, जिसकी संचयन क्षमता 11.03 MCM एवं खरीफ सिंचाई क्षमता 2400 हे० है। चतरा जिले के मयूरहंड प्रखण्ड में अंजनवा जलाशय योजना अवस्थित है, जिसकी संचयन क्षमता 6.17 MCM एवं खरीफ सिंचाई क्षमता 1560 हे० है। दोनों जलाशयों में अल्पवृष्टि के कारण इस वर्ष खरीफ अवधि में क्रमशः 1015 हे० तथा 480 हे० सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों के हित में खण्ड–01 में वर्णित चेकडैम के स्टोरेज क्षमता बढ़ाने हेतु गहरीकरण एवं नहरों का विस्तार कर छुटे हुए अधिकांश पंचायतों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त जलाशयों की संचयन क्षमता में काई कमी नहीं है। बल्कि अल्प वृष्टि के कारण सिंचाई कम हुई है। अतएव वर्णित डैम के स्टोरेज क्षमता बढ़ाने हेतु गहरीकरण की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–74/2022 – 4475 /राँची, दिनांक 21/12/22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2234 वि०स० दिनांक 14.12.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(17)

श्री रामचंद्र सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०-01 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री रामचंद्र सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के विभिन्न प्रखण्डों में कई उपभोक्ताओं के घर दो-दो बिल बिजली विभाग द्वारा भेजा जा रहा है, जबकि उपभोक्ताओं को उनके घर में लगे मात्र-1 कनेक्शन की ही जानकारी उन्हें होती है अथवा एक-दो साल में एक बार भारी रकम की बिल भेजी जा रही है;	अस्वीकारात्मक। कार्यकारी एजेंसी मे० बिजय इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा कैम्प लगाकर एवं घर-घर जाकर नया विद्युत कनेक्शन दिया गया है तथा कुछ उपभोक्ताओं द्वारा एक ही घर में पुराना विद्युत संबंध चालू रहने के बावजूद एक अलग से दूसरे व्यक्ति के नाम पर विद्युत कनेक्शन लिया गया है जिसके कारण उपभोक्ताओं को घर में दो बिजली बिल निर्गत हो रहा है। कुछ उपभोक्ताओं का तकनीकी खराबी के कारण दो विद्युत संबंध हो गया है जबकि विद्युत संबंध संख्या एक ही है। तथा ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित कर कम्प्यूटर डेसबोर्ड से Deactive कर सुधार किया जा रहा है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड-01 में वर्णित तथ्यों पर बिजली विभाग के पदाधिकारियों द्वारा 2 बिल भेजा जाता है और उपभोक्ता द्वारा बिल जमा नहीं करने पर उन पर प्राथमिकी दर्ज कर दिया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। खण्ड-1 में वर्णित उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल जमा नहीं करने पर सर्वप्रथम विद्युत संबंध को विच्छेद किया जाता है। यदि विद्युत संबंध विच्छेदन के बाद बिना बकाया जमा किये स्वयं से विद्युत संबंध जोड़कर बिजली का उपभोग करते हुए पाये जाते है तो उन पर नियमानुकुल विद्युत ऊर्जा चोरी की प्राथमिकी दर्ज की जाती है।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड-01 एवं 2 में वर्णित घटना ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों जहाँ अधिकांशतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लोग निवास करते हैं, उपभोक्ताओं के साथ घटित हो रहा है;	अस्वीकारात्मक। खण्ड-1 एवं 2 में वर्णित घटना ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वर्गों के साथ घटित हुआ है एवं जिनके द्वारा विद्युत संबंध रहने के बावजूद कार्यरत एजेंसी को आधार कार्ड देकर नया विद्युत संबंध लिया गया है। यह किसी विशेष वर्ग से संबंधित नहीं है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऊर्जा विभाग के पदाधिकारियों को ऐसी घटना पर कैंप लगाकर आवेदन लेकर सुधार करने तथा की गई प्राथमिकी पर राहत देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक। निगम द्वारा प्रत्येक माह बिजली बिल जमा करने एवं उपभोक्ताओं के शिकायत आवेदन पर कार्रवाई हेतु कैम्प लगाया जाता है, जिसका त्वरित गति से निष्पादन किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2556 /

दिनांक 21/12/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(18)

श्रीमती पुष्पा देवी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–ज०–09 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत छतरपुर प्रखण्ड एवं नौडिहाबाजार प्रखण्ड का लघु सिंचाई प्रमण्डलीय कार्यालय, हुसैनाबाद में स्थित है ;	– स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पूर्व में दोनो प्रखण्डों की लघु सिंचाई कार्यालय पलामू (मेदिनीनगर) में ही अवस्थित था एवं उक्त दोनों प्रखण्डों से जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के लिये यातायात व्यवस्था सुगम होने से कार्य संपादन में प्रखण्डवासियों को आसानी हाती थी ;	– दोनो प्रखण्ड पूर्व में लघु सिंचाई प्रमण्डल, मेदिनीनगर के अधीन में थे।
3.	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान मे उक्त प्रखण्डों का लघु सिंचाई प्रमण्डलीय कार्यालय, हुसैनाबाद मे होने से काफी दुरी तय कर आना जाना पड़ता है एवं यातायात की भी व्यवस्था सुगम नहीं होने से आम जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जिससे ससमय सिंचाई संबंधित कार्य क्रियान्वयन नहीं हो पाता है ;	– अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार छतरपुर एवं नौडिहाबाजार प्रखण्ड एवं हरिहरगंज, पिपरा प्रखण्ड वासीयों के हित में लघु सिंचाई प्रमण्डलीय कार्यालय पूर्व की भाँती मेदिनीनगर (पलामू) में ही स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	– दोनों प्रखण्डों यथा छतरपुर एवं नौडिहाबाजार का हुसैनाबाद से सड़क मार्ग अच्छा है। लघु सिंचाई प्रमण्डल, हुसैनाबाद से दोनों प्रखण्डों का काम लिया जा रहा है। – क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त तथ्यों के आलोक में वर्त्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का विचार विभाग में विचारणीय नहीं है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग,

ज्ञापांक :–06 / ज०सं०वि०–20–तारांकित–79 / 2022 –6471 / रॉची, दिनांक :– 21/12/22

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2284 दिनांक 15.12.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके रोड, रॉची / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची / मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची /अवर सचिव, प्रशाखा–06, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

(देवेन्द्र कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

D:\PRA- 2022\Dy. Sec\Bidhan Sabha 2022\Puspa Devi Tarankit.docx

(19)

श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला अन्तर्गत शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसान व मजदुरी है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड –रानेश्वर अन्तर्गत बड़ा नदी जलाशय योजना के कैनाल का निर्माण कार्य कराया गया है लेकिन डैम के गेट का निर्माण अबतक नहीं होने के कारण पानी की बर्बादी हो रही है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त डैम योजना अन्तर्गत चालु वित्तीय वर्ष में गेट के निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु रू० 26.25 लाख की राशि निर्गत करने की प्रक्रियाधीन है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति देकर उपरोक्त डैम के गेट का लोकहित में निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	बड़ा नदी जलाशय योजना के डैम आउटलेट गेटों के निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 06/ज०स०वि०–20–तारां०–77/2022 – 6438 /राँची, दिनांक 21/12/22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2285 वि०स० दिनांक –15.12.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

20

डॉ० इरफान अंसारी, स० वि० स० द्वारा दिनांक–22.12.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– क–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में हज हाऊस का निर्माण 55 करोड़ रू० की लागत से किया गया, जिससे कि हज पर जाने वाले हाजियों को समुचित मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जा सकें,	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में हज हाऊस का निर्माण रू० 55,26,59,133.00 की लागत राशि से किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि नवनिर्मित हज हाऊस के निर्माण के उपरांत इसके देखरेख, हाजियों को मूलभूत सुविधा तथा हज हाऊस के कार्यालय (अध्यक्ष कार्यपालक पदाधिकारी सहित) के लिए किसी प्रकार की राशि आवंटित नहीं की जाती है। फलःस्वरूप हज हाऊस के संचालन में कतिपय कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जिससे हाजियों को असुविधा होती है;	झारखण्ड राज्य हज समिति को वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू० 49.07 लाख, 2021–22 में रू० 52.50 लाख एवं 2022–23 में रू० 52.50 लाख का आवंटन प्रदान किया गया है। उक्त राशि का व्यय हज प्रशिक्षण/हज के दौरन टेन्ट आदि में, हज यात्रियों के मदद् हेतु भेजे गये खादिमुलहुज्जाज का 50 प्रतिशत बकाया राशि का भुगतान, मजदुरी, बिजली, पानी की समुचित व्यवस्था में व्यय की जाती है। इसी राशि से कार्यालय व्यय में खर्च की जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त हज हाऊस के देखरेख/हाजियों को समुचित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवंटन मुहैया करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो ?	उपरोक्त कण्डिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–05/वि०स०(तारांकित)–01/2022 - 3677 राँची, दिनांक– 21/12/2022

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–2203, दिनांक–13.12.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/12/22

(प्रिसिल्ला मुर्मू)
सरकार के उप सचिव।

(21)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-22.12.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-02 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत चास प्रखण्ड के डूमरजोड़ गाँव के निकट करीब 19 एकड़ का बेहरा बाँध अवस्थित है, जो अभी भारी मात्रा में गाद जमा होने के कारण बुरी अवस्था में है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कंडिका–01 में वर्णित बड़ा बाँध से आस–पास के कई एकड़ भूमि में सिंचाई का कार्य होता था, लेकिन अब गाद जमा हो जाने के कारण इसकी सिंचित क्षमता नगण्य हो गई है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कृषकहित में इसी वित्तीय वर्ष में उक्त बड़ा बाँध का जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	योजना के स्वामित्व के संबंध में अंचलाधिकारी, चास से जानकारी मांगी गई है। स्वामित्व की जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6 / ज०सं०वि०–20–तारांकित–72 / 2022 6444 / राँची, दिनांक– 21/12/22

प्रतिलिपि :–(1)अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–2229 दिनांक–14.12.2022 के क्रम में 5 (पाँच) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

(22)

श्रीमती पुष्पा देवी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–07 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती पुष्पा देवी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के छतरपुर, नौडिहाबाजार प्रखण्ड के दर्जनों गाँव एवं साथ ही हरिहरगंज, पिपरा के दर्जनों गाँव अतिसुदुरवर्ती क्षेत्र में है एवं जिला मुख्यालय से 60–70 कि०मी० दूर है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि छतरपुर अनुमण्डल स्थित T.R.W (Transformer Repair Workshop) नहीं होने से उक्त प्रखण्डों के ग्रामों में ट्रांसफरमर जल जाने या खराब हो जाने पर ट्रांसफर्मर मरम्मती कराने हेतु 60–70 की०मी० दूर जिला मुख्यालय स्थित (TRW) ले जाना पड़ता है, जिससे उन्हें महीनों अंधेरे में गुजारना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। केवल बरसात के दिनों में आकाशीय बिजली के कारण ट्रांसफार्मर जलने की दर/ संख्या बढ़ जाती है तथा वातावरण में नमी के कारण ट्रांसफार्मर मरम्मति में सामान्य से ज्यादा समय लगता है। परिणामस्वरूप ट्रांसफार्मर बदलने में देरी होती है।
3. क्या यह बात सही है कि छतरपुर अनुमण्डल मुख्यालय में T.R.W (Transformer Repair Workshop) की स्थापना हो जाने से उपरोक्त वर्णित प्रखण्डों में जले ट्रांसफर्मरों का मरम्मती ससमय हो पायेगा;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपरयुक्त खण्डों के उतार स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पलामू जिले के छतरपुर अनुमण्डल में T.R.W (Transformer Repair Workshop) की स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	वर्तमान में डालटनगंज और लातेहार जिला में केवल एक TRW है, जो डालटनगंज में कार्यरत है। बरसात के दिनों में ट्रांसफार्मर जलने की संख्या बढ़ जाने के कारण बदलने में देरी होती है। लातेहार जिला में TRW का निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रकिया शुरू कर दी गई है तथा दो-तीन महीने में किसी एजेंसी को कार्य आवंटन कर दिया जाएगा। तत्पश्चात लगभग छः महीने में टी०आर०डबल्यु० का कार्य संपन्न होने के साथ ही ट्रांसफार्मर मरम्मति का कार्य चालू हो जाएगा एवं TRW डालटनगंज पर भार कम हो जायेगा। परिणामस्वरूप ट्रांसफार्मर बदलने में देरी की संभावना कम हो जायेगी। साथ ही सादर सूचित करना है कि छतरपुर में TRW बनाने हेतु प्रावधान ए०डी०पी० बजट 2023–24 में किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2557 /

दिनांक 21/12/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

23

श्री केदार हाजरा, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–22.12.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क०–02 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत देवरी प्रखण्ड के पंचायत भेलवाघाटी में आश्रम विद्यालय का भवन वर्ष 2000 में ही बन कर तैयार हो गया है;	अस्वीकारात्मक। निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत विद्यालय भवन, वर्ष 2021 में हस्तगत कराया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में निहित विद्यालय में विभागीय पदाधिकारी की घोर लापरवाही के कारण इस विद्यालय में पठन–पाठन कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। विद्यालय भवन हस्तगत होने के उपरांत विद्यालय में नामांकन हेतु बच्चों के चयन, बच्चों के पठन–पाठन एवं आवासन हेतु आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति तथा विद्यालय के संचालन/प्रबंधन हेतु गैर सरकारी संस्था का चयन करते हुए विद्यालय का संचालन यथाशीघ्र प्रारंभ करने का निदेश आदिवासी कल्याण आयुक्त को दिया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार अप्रैल से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र 2023–24 में विद्यालय संचालन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में निहित विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ नहीं होने से स्थानीय खासकर आदिवासी छात्र–छात्राओं को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। यथाशीघ्र विद्यालय का संचालन प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लापरवाही के लिए दोषी पदाधिकारी को चिन्हित कर न्यायोचित कार्रवाई करते हुए आश्रम विद्यालय, भेलवाघाटी में शिक्षण कार्य प्रारंभ कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–02/वि० स०–06/2022–क– 3675 राँची, दिनांक– 21/12/2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2202, दिनांक–13.12.2022 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vandana 21/12/22

(वन्दना कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।